

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 1245/सो.आ.नि.-312/2019

दिनांक: 14 फरवरी, 2020

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,


समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) उ०प्र०।

विषय: जनपद में सोशल आडिट कार्य में फसिलिटेशन हेतु बी०आर०पी० को उनके स्वयं के विकास खण्ड में ड्यटी लगाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि निदेशालय स्तर पर प्राप्त शिकायतों के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में प्रक्रियाधीन सोशल आडिट कार्य में फसिलिटेशन हेतु बी०आर०पी० को उनके स्वयं के विकास खण्ड (निवास का विकास खण्ड) में ड्यटी लगाई जा रही है जिससे सोशल आडिट कार्य की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता प्रभावित हो रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में किसी भी दशा में अपने जनपद के सोशल आडिट कार्य में फसिलिटेशन हेतु बी०आर०पी० को उनके स्वयं के विकास खण्ड (निवास का विकास खण्ड) में ड्यटी न लगाने का कष्ट करें।

भवदीया,

(कु० रेखा गुप्ता)
निदेशक।